भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 370
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए तंत्र

370. डॉ. निशिकांत दुबेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कृषि मशीनरी, जो आधुनिक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कृषि मशीनरी प्राप्त करने में किसानों की सहायता करने के लिए अब तक बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या योजना के तहत राजसहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार का मशीनीकरण वहां के संवर्धन पर बल देना है, के विशिष्ट उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना तथा उन क्षेत्रों जहां फार्म पावर की उपलब्धता कम है तथा छोटे भू-स्वामित्व और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं की भरपाई के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को बढ़ावा देना है।

वर्ष 2014-15 से राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना 'कृषि मशीनीकरण उप-मिशन' (एसएमएएम) कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर ट्रैक्टर सहित कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)/हाई टेक हब/फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसएमएएम की स्थापना के बाद से विभिन्न राज्यों को 7856.28 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है। राज्यों ने व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर किसानों को 19.51 लाख से अधिक मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति की है और विभिन्न राज्यों में 52,000 से अधिक सीएचसी/हाई-टेक हब/एफएमबी स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक (30.01.2025 की स्थिति के अनुसार) राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वर्ष 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना धान की पराली के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत, 2018-19 से 2024-25 (30.01.2025 तक) की अवधि के दौरान, इन राज्यों और आईसीएआर को 3607.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्यों ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के 41,900 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए हैं और इन सीएचसी और इन राज्यों के व्यक्तिगत किसानों को 3.23 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें आपूर्ति की गई हैं। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा वित्तीय सहायता जारी कर दी गई है।

अनुबंध-I

वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक एसएमएएम के अंतर्गत जारी धनराशि, वितरित मशीनें और स्थापित सीएचसी/हाई-टेक हब/एफएमबी का राज्य-वार विवरण (30.01.2025 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	जारी निधि (रुपए करोड़ में)	वितरित कृषि मशीनरी की संख्या	स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्रों/हाई-टेक हब/फार्म मशीनरी बैंकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	855.37	251514	10598
अरूणाचल	65.87	40824	13
असम	123.71	3163	787
बिहार	157.23	39535	2005
छत्तीसगढ	321.05	102736	2978
गुजरात	92.73	29733	247
हरियाणा	266.54	24870	2313
हिमाचल प्रदेश	173.81	43637	53
जम्मू एवं कश्मीर	76.71	19822	387
झारखंड	33.95	0	527
कर्नाटक	1036.38	306785	790
केरल	298.1	118105	1687
मध्य प्रदेश	511.85	279300	1778
महाराष्ट्र	602.93	103525	1430
मणिपुर	113.14	20283	820
मेघालय	25.19	2457	8
मिजोरम	43.7	5730	339
नागालैंड	231.65	21373	609
उड़ीसा	346.99	81831	1778
पंजाब	109.18	13648	1267
राजस्थान	145.21	32793	1854
सिक्किम	51.47	7128	52
तमिलनाडु	803.92	80758	4153
तेलंगाना	55.67	28954	195
त्रिपुरा	185.7	54915	727
उत्तर प्रदेश	671.56	182346	11591
उत्तराखंड	342.75	42294	2400
पश्चिम बंगाल	101.79	10997	774
दादर एवं नागर हवेली	1.10	89	0
पुदुचेरी	10.00	621	13
लद्दाख	1.03	1314	0
कुल	7856.28	19,51,080	52,173

अनुबंध-II

वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक सीआरएम योजना के अंतर्गत जारी निधि, वितरित मशीनें और स्थापित सीएचसी/एफएमबी का राज्यवार विवरण (30.01.2025 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	**जारी निधि (रुपए करोड़ में)**	**वितरित फसल अवशेष मशीनरी की संख्या**	**स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्रों/स्थापित कृषि मशीनरी बैंकों की संख्या**
हरियाणा	1081.71	1,00,882	6775
पंजाब	1756.45	1,47,668	25917
उत्तर प्रदेश	763.67	74,548	9276
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6.05	247	0
कुल	**3607.88**	**3,23,345**	**41,968**

*****